न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 652/2019

अनवान : –

1. पालाराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 के.एन. एन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073–2076 के खाता स० 69/66 के प०न० 323/377 मु0न0 17 के किला न0 4/1 की 0.0200 हैक्ट, 5/3 की 0.1900 हैक्ट, 6/2 की 0.228 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, 14 की 0.253 हैक्ट, 15/2 की 0.228 हैक्ट, 16/2 की 0.228 हैक्ट, 17 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.253 हैक्ट, 25/2 की 0.227 हैक्ट, प.न. 0 मु0न0 81/17 के किला न00/1 की 0.1260 हैक्ट, गै.मु. खाला प.न. ० मु.न. 84/4 के किला नं. 0.0380 हैक्ट गै.मु. रास्ता कुल 12 किता की 2.2970 हैक्ट कृषि भूमि है।

रोही मौजा चक 13 के.एन.एन तहसील नोहर के उक्त कृषि भूमि में प०न० 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/3 की 0.1900 हैक्ट, 6/2 की 0. 228 हैक्ट, 15/2 की 0.228 हैक्ट, 16/2 की 0.228 हैक्ट, 25/2 की 0.227 हैक्ट, भूमि है क्योंकि पूर्व में यही से खाला चलता था। और इससे ही पानी की सिंचाई होती थी। लेकिन वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा नक्शो में परिवर्तन कर नई सिचाई योजना के तहत पत्थर लाईन पक्के खालो का निर्माण कर दिया है। इसलिए चक 13 केएनएन के प०न० 323/377 मु0न0 17 केकिला न० 5, 6, 15, 16, 25 में अब कोई खाला नहीं चलता है। नियमानुसार खाता की भूमि खातेदार की होती है अब वर्तमान में नई स्कीम में इन किलो में कोई खाला नहीं है। तथा ना ही कोई आवश्यकता है इसलिए रिकार्ड में दुरूस्त करवाकर किला न० 5/... की 0.038 हैक्ट रास्ता की छोड़कर 0.251 हैक्ट व किला न0 6,15,16 25 में प्रत्येक किला न० 0.253 हैक्ट दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में प०न० 323/377 मु0न0 17 के किला न० 5 की 0.251 हैक्ट 6 की 0.253 हैक्ट, 15 की 0.253 हैक्ट, 16 की 0.253 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

वाद पेश होने पर द[illegible]गण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में [illegible] 13 [illegible] तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 [illegible] पेश की जो की [illegible] मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने जरिये अधिक्ता प्रार्थना पत्र 151 [illegible]पीसी का इस आशय[illegible]श किया की रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की

Rahul

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जावे तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा 13 केएनएन के प0न0 323/377(17) किला न0 5/2, 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 गै0मु0 खाला दर्ज है परन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा कोई खाला निर्मित नही किया गया है एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 13 केएनएन के प0न0 323/377 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 में सीएडी स्कीम के अभिलेखागार अनुसार कोई खाला दर्ज नही है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर उक्त किला न0 में कोई खाला नही है इसलिए वादी रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है को मुमकिन दर्ज करवाना पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै० मु० खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि मौके पर अब खाला नही है क्योंकि सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए गै0मु0 खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा 13 केएनएन के प0न0 323/377(17) किला न0 5/2, 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 गै0मु0 खाला दर्ज है परन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा कोई खाला निर्मित नही किया गया है एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 13 केएनएन के प0न0 323/377 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 में सीएडी स्कीम के अभिलेखागार अनुसार कोई खाला दर्ज नही है इसलिए गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/नियमितीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै० मु० खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है एवं न ही चालु है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै० मु० खाला की बजाये वादी के नाम खातेदारी/मुमकिन भूमि घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....10/12/25..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 652/2019

अनवान : –

1. पालाराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 652 सन 2019 निर्णय दिनांक 10/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन के खाता स0 67/67 के प0न0 323/377 मु0न0 17 के किला न0 5/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै० मु० खाला की बजाये वादी के नाम खातेदारी/मुमकिन भूमि घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....10/12/25..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested